

बाल तस्करी

चर्चा में क्यों?

कथति तौर पर अवैध रूप से बहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चों को उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बचाया।

- धर्म के नाम पर चंदा कमाने के लिये बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाकर मदरसों में रखना संवधान का उल्लंघन है।

मुख्य बद्दि:

- जनि बच्चों को बचाया गया उनकी उमर 4-12 वर्ष के बीच थी। इस घटना ने बाल तस्करी को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के मुताबकि, भारत के संवधान ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है। परत्येक बच्चे के लिये स्कूल जाना अनविरय है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- **NCPDR**) की स्थापना वर्ष 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी।
- आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संवधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child- **UNCRC**) में नहिंति बाल अधिकारों के परपिरेक्ष्य के अनुरूप हैं।

बाल तस्करी (Child Trafficking)

- यह घरेलू श्रम, उद्योगों में बलात् बाल श्रम और भीख मांगने, अंग व्यापार एवं व्यावसायिक यौन उद्देश्यों जैसी अवैध गतिविधियों के रूप में उजागर होता है।
- वर्ष 2021 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- **NCRB**) ने एक चौंका देने वाला आँकड़ा प्रस्तुत किया: भारत में हर दिनि औसतन आठ बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। इन मामलों में शोषण के विभिन्न रूप शामिल थे, जनिमें बलात् श्रम, भीख मांगना और यौन शोषण शामिल था।
- ये आँकड़े एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जनिमें वर्ष 2018 में 2,834 मामले, वर्ष 2019 में 2,914 मामले और वर्ष 2020 में 2,222 मामले दर्ज किये गए।
 - यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ये आँकड़े लापता बच्चों के मामलों को छोड़कर, केवल पुष्ट किये गए तस्करी के मामलों के हैं।
 - समस्या का वास्तविक दायरा इन आँकड़ों से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है